

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पेशनाम अर्थात्) भारत भूपण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशन नं. रा.स. 892/201

निर्णय दिनांक :- 11/11/20

उपखण्ड निर्णय पत्र :-

गोंगादेवी पार्ले राजस्थान तहसीलदार.....इकी.....

उपखण्ड निर्णय :-

डाकीरा

तहसीलदार.....इकी.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

प्रार्थी गोंगा देवी w/o गोंगा राम निवासी छुवाकलौ ने प्रशासन गांवों के संग 2021 के मा. न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम छुवाकलौ जमाबंदी नम्बर 2077 के खाता संख्या 180 में दर्ज प्रार्थी का नाम गोंगा देवी पार्ले राजस्थान के स्थान पर गोंगा देवी पार्ले गोंगा राम दूसरे नाम से पेश करने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर अलोकन का आदेश अलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार इकी से कराई गई। तहसीलदार इकी ने पटवार हल्का छुवाकलौ व भू0अ0नि0 छुवाकलौ की सि. नि. डेट प्रार्थी के नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंका की। प्रार्थी को राजस्व नम्बर गजगेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार इकी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। निर्णय पत्र द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 136 के धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्विकार किया गया। राजस्व ग्रुप -6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:- 4/2011/1/2/1 के तहत तहसीलदार इकी को वाके ग्राम छुवाकलौ जमाबंदी नम्बर 2077 के खाता संख्या 180 में दर्ज गोंगा देवी पार्ले राजस्थान के स्थान पर गोंगा देवी पार्ले गोंगा राम

दस्तावेजात अर्थात् प्रकरण हेतु अनुगत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार को प्रेषित प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दर्ज किया गया।

निर्णय पत्र के बारे में इजलास, कैम्प छुवाकलौ में सुनाया गया।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
देवली